रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड,पालम, दिल्ली छावनी-110010

सं० प्रशा/VIII/8201/2/भर्ती नियम   दिनांक 12/12/2014

सेवा मे,

सभी र.ले.प्र.नि./प्र.ले.नि.(फै.)/र.ले.नि./क्षे०प्र०के०

विषय : रक्षा लेखा विभाग मे विभिन्न पदो के लिए भर्ती नियम ।

रक्षा लेखा विभाग के निम्नलिखित पदो के भर्ती नियम जो कि भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हो चुके है, रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

क्रम.सं०	पद का नाम	एस०आर०ओ० सं० एवं दिनांक
1	लेखा अधिकारी	एस०आर०ओ० सं० 55 दिनांक 30.06.2011.
2.	ज्येष्ठ निजी सचिव	एस०आर०ओ० सं० 5 दिनांक 08.12.2012.
3.	निजी सचिव	एस०आर०ओ० सं० 17 दिनांक 24.02.2014
4.	आशुलिपिक ग्रेड-II	एस०आर०ओ० सं० 33 दिनांक 06.05.2011.
5.	लेखा परीक्षक	एस०आर०ओ० सं० 22 दिनांक 15.09.2009, एस०आर०ओ० सं० 95 दिनांक 30.10.2012 और एस०आर०ओ० सं० 53 दिनांक 11.08.2014.
6.	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	एस०आर०ओ० सं० 58 दिनांक 11.09.2013.
7.	कनिष्ठ अनुवादक /ज्येष्ठ अनुवादक	एस०आर०ओ० सं० 68 दिनांक 21.10.2013.
8.	लिपिक	एस०आर०ओ० सं० 23 दिनांक 15.09.2009.
9.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एस०आर०ओ० सं० 47 दिनांक 05.10.2010 एवं एस०आर०ओ० सं० 57 दिनांक 04.09.2013.

आर रंगनाथन

(आर रंगनाथन)

कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. ई.डी. पी. सेन्टर (स्थानीय) -------- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

—ह०—

(आर रंगनाथन)

व० लेखा अधिकारी

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

का.नि.आ. 55.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा लेखा विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखा अधिकारी	1608* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9,300—34,800 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(2)
टिप्पण : लेखा अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के ग्रेड में पदों का संयुक्त संख्याबल, जिसमें से अधिकतम 80% को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के ग्रेड में संचालित किया जाए ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. में ऐसा सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 (वह जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा पूरी की गई नियमित सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतन मान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(10)	(11)
	प्रतिनियुक्ति : विभिन्न संगठित लेखा संवर्गों के अधिकारियों सहित केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :– (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद किए हुए हैं; या (ii) जो मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में या समकक्ष में दो वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभवों में से कोई एक प्राप्त हो:– (i) अधीनस्थ लेखा सेवा या केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो या (ii) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या समतुल्य से रोकड़ एवं लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रोकड़ लेखे तथा बजट कार्य में दो वर्षों का अनुभव प्राप्त हो । **टिप्पण 1** : पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है । साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रति नियक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहां एक पूर्व पुनरीक्षित सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान चाहिए एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहाँ यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए, समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. रक्षा लेखा महानियंत्रक/ज्येष्ठतम रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक —सदस्य 3. रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशासन) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(12)
4. दो रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/ एकीकृत वित्तीय सलाहकार —सदस्य

[फा. सं. 9(4)/सी/20...]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण –मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में का.नि.आ. 55, तारीख 6 जून, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(Finance Division)

New Delhi, the 30th June, 2011

S. R.O. 55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008, for the existing Schedule the following Schedule, shall be substituted, Namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of the posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	1608 (2011)* *Subject to variation dependent on workload. **Note :** Combined strength of posts in the grades of Accounts Officer and Senior Accounts Officer, out of which a maximum of 80% may be operated in the grade of Senior Accounts Officer.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 2, ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 5400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recuits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and Percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Assistant Accounts Officer in Pay Band-2, ₹ 9300-34800 with grade Pay of ₹ 4800 with two years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (The date from which the Revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Deputation :—** Officers of the Central Government including officers of the various Organized Accounts cadres :— (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-2 of ₹ 9300-34800 with grade pay of ₹ 4800 or equivalent in the parent cadre/department; and (B) Possessing one of the following educational qualifications and experience :— (i) Pass in Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any organized Accounts departments of the Central Government; or

(11)
(ii) Successfully completed training in cash and Accounts work by the Institute of Secretariat training and Management or Equivalent and two years experience in Cash Accounts and Budget work.
Note 1:—Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.
Note 2:—Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
Note 3:—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised Pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :— 1. Controller General of Defence Accounts/Senior Most Additional Controller General of Defence Accounts —Chairman 2. Additional Controller General of Defence Accounts —Member 3. Joint Controller General of Defence Accounts (Administration) —Member 4. Two principal Controllers of Defence Accounts/ Controllers of Defence Accounts/Integrated Financial Adviser —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 9(4)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Advisor

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide number SRO. 55, dated 6th June, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

amended from time to time as follows, namely :—

In the said Notification, under the heading

" under clause (i) of sub-section (1) of Section 12",

for the entry (13), the following entry shall be substituted, namely:—

"(13) Shri Husain Dalwai, Member of Parliament (Rajya Sabha) elected with effect from the 17th December, 2012 upto 16th December, 2013".

[F. No. 3(11)/2012-D(GS-VI)]

N. B. MANI, Under Secy.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2012

का.नि.आ. 5.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजि सचिव) भर्ती नियम, 2007 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ निजी सचिव	15* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ऐसे निजी सचिव जिन्होंने वेतन बैंड -2, वेतनमान, 9300-34800 रु. +ग्रेड वेतन 4600 रु. में 2 वर्ष नियमित सेवा की है और दि [illegible] के अधीन कार्यरत विभिन्न केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद के कार्यों से संबंधित 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है ।

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी

(क) (i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की है और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और कौशल परीक्षा के मानक हो :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

(ii) कौशल परीक्षा के मानक

(क) श्रुतलेख:10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट

(ख) अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कंम्प्यूटर पर)

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,

	(11)
	साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं होगी' ।
	टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) । नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान या साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक —सदस्य 3. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/ एकीकृत वित्तीय सलाहकार —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. एफ. 9(1)/सी/2011]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-2, खंड-4 में का.नि.आ. संख्या 53, तारीख 14 सिंतम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(Finance Division)

New Delhi, the 8th December, 2012

S.R.O. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Accounts Department (Senior Private Secretary) Recruitment Rules, 2007, for the existing Schedule the following Schedule, shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay and pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Private Secretary	15* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, 9300—34800 Grade Pay Rs. 4800	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Private Secretary with two years regular service in the Pay Scale of Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4600 in Pay Band-2 rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed 2 weeks training in relation to the duties of higher post imparted at various RTCs functioning under the department. **Note 1.**—Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the reuiqusite qualifying or eligibility Service by more than half of such qualifying or eligibility service or Two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such Qualifying or Eligibility service. **Note 2.**—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation:** Officer of the Central Government (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or,

85 GI/13-2

(11)

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4600 in Pay Band-2 or equivalent in the parent cadre or department. and

(B) Possessing following educational quilification and skill test norms:—

(i) Degree of a recognized university

(ii) Skill Test Norms

(a) Dictation: 10 mts @ 80 w.p.m.

(b) Transcription : 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (On Computer)

Note 1.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct lime of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one prerevised scale of pay into one grade with a common Grade Pay of Pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay of Pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion 1. Additional Controller General of Defence Accounts -Chairman 2. Joint Controller General of Defence Accounts - Member 3. Principal Controller of Defence Accounts/Controller of Defence Accounts/Integrated Finance Adviser -Member	Consultation of UPSC is not necessary.

[F. No. F. 9 (1)/C/2011]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Advisor

Note.—The principal rules were publisehd in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide number SRO. 53, dated 14th September, 2007.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

865 GI/14-5

Contd.

१५

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्त.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	59* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-1 जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद के कर्तव्यों के संबंध में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** निजी सचिव पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर आशुलिपिक श्रेणी-1 के पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष बनी रहेगी ।

(11)

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के आशुलिपिक काडर के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है ।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) :— **रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के लिए :** 1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य 3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य **रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :** 1. रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा उप महानियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. एफ. 9(3)/सी/2011]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 24th February, 2014

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Personal Assistants) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	59* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion, failing which by deputation	**Promotion :** Stenographer Grade-I in the pay band -2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed two weeks training in relation to the duties of higher post imparted at various Regional Training Centers functioning under the department. **Note 1 :** The eligibility service for promotion to the post of Private Secretary shall continue to be two years for persons holding the feeder posts of Stenographer Grade I on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by

765 GI/14-6

(11)

an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Stenographer cadre of Central Government :

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— **For Offices other than the Controller General of Defence Accounts :** 1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(12)	
2. Deputy Controller of Defence Accounts	—Member
3. Assistant Controller of Defence Accounts	—Member
For the Office of the Controller General of Defence Accounts :	
1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts or Deputy Controller General of Defence Accounts	—Chairman
2. Assistant Controller General of Defence Accounts	—Member
3. Senior Accounts Officer	—Member

[F. No. 9(3)/C/2011]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

AN-VIII

4130

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मई 15—मई 21, 2011, शनिवार/वैशाख 25—वैशाख 31, 1933

No. 10] NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2011, SATURDAY/VAISAKHA 25—VAISAKHA 31, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 2011

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में आशुलिपिक श्रेणी-2 (तत्कालीन आशुलिपिक श्रेणी-3), के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—

उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन पर सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी-2	105* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को 40 वर्ष तक छूट तथा अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की दशा में 05 वर्ष और छूट दी जा सकेगी) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

1643 GI/11 — 1E

(8)

2. **कौशल परीक्षा के मानदंड**

श्रुतिलेख : 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट

लिप्यांतरण :

50 मिनट (अंग्रेजी)/65 मिनट (हिन्दी) (कंप्यूटर पर)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती । **टिप्पण** : पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी के कारण उत्पन्न रिक्ति को केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं तथा स्तम्भ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता को पूरा करते हैं ।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता ।

1. महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय के अधीन अन्य कार्यालयों के पदों के लिए :
   - (i) रक्षा लेखा नियंत्रक/संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रक —अध्यक्ष
   - (ii) रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य
   - (iii) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य
2. महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय के लिए :
   - (i) ज्येष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक —अध्यक्ष
   - (ii) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य
   - (iii) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. एफ 9(9)/सी/2010]

वीना प्रसाद, अपर वित्तीय सलाहकार व संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 6th May, 2011

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II (erstwhile Steno-III) Ministry of Defence in the Defence Accounts Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the pay band and grade pay/scale of pay.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person, shall be eligible for appointment to the said post :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade-II	105* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group C Non-Gazetted, Ministerial	PB-1, (Rs. 5200—20200), Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	18—27 years. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
1. 12th Class Pass or equivalent from a recognised Board or University.	Not applicable	Two years

(8)
2. Skill Test Norms : **Dictation :** 10 mts @ 80 w.p.m. **Transcription :** 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (On Computer).

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column-8.	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee and for confirmation :— 1. For Posts in other offices under the Controller General Defence Accounts Office. (i) Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts —Chairman (ii) Deputy Controller of Defence Accounts/ Assistant Controller of Defence Accounts —Member (iii) Senior Accounts Officer —Member 2. Controller General Defence Accounts Office (i) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts/Deputy Controller General of Defence Accounts —Chairman (ii) Assistant Controller General of Defence Accounts —Member (iii) Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 9(9)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

का.नि.आ. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में :—

Auditor

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, सितम्बर 20–सितम्बर 26, 2009, शनिवार/भाद्र 29–आश्विन 4, 1931

No. 13] NEW DELHI, SEPTEMBER 20—SEPTEMBER 26, 2009, SATURDAY/BHADRA 29—ASVINA 4, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II–खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

का.नि.आ. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (वर्ग-3 और वर्ग-4) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक उनका संबंध लेखापरीक्षक के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में लेखापरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रखा लेक्षा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखापरीक्षक	3878* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैंड 1 5200-20200 रुपए + 2800 रु. ग्रेड वेतन सहित	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सामान्य श्रेणी के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक की छूट) आयु सीमा की प्रमाणिक तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार होगा ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन अपेक्षित है
(11)	(12)
(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (ii) 45 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	(i) 45 प्रतिशत उन लिपिक-सह-टंककों में से जो उस ग्रेड में न्यूनतम 13 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं ।

(11)	(12)
(iii) 5 प्रतिशत स्नातक लिपिक-सह-टंककों में से उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर । **टिप्पण** : लेखापरीक्षकों की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर की जाएगी ।	(ii) 5 प्रतिशत उन स्नातक लिपिक-सह-टंककों में से जो लेखापरीक्षक पद के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं । **टिप्पण 1** : स्नातक लिपिक-सह-टंककों में से पदोन्नति के लिए परीक्षा तभी आयोजित की जाएगी जब पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध होती हैं । बीच की अवधि के दौरान स्नातक लिपिक-सह-टंककों के लिए उद्दिष्ट रिक्तियां न तो व्यापगत होंगी और न ही भरी जाएंगी । **टिप्पण 2** : लिपिक-सह-टंकक एवं आँकड़ा प्रविष्टि परिचालक, जो अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-1 उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें उपरलिखित 45 प्रतिशत कोटे के प्रति बिना पारी के लेखापरीक्षक पद पर प्रोन्नत किया जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार) की संरचना :— **रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के लिए :–** (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा उप-नियंत्रक —सदस्य (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य **रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :–** (1) रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशासन)/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन) —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 9(1)/सी/2009]

अमित कौशिश, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 15th September, 2009

S.R.O. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and IV) Recruitment Rules, 1970, inso far as they relate to the post of Auditor except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Auditor in the Defence Accounts Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, shall be eligible for appointment to the said post :

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Auditor	3878* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services (Group 'C') Ministerial (Non-gazetted)	Pay Band 1 Rs. 5200-20200 plus Rs. 2800 Grade Pay	Non-selection	No	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Degree from a recognised University or equivalent qualification	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
(i) 50% by direct recruitment (ii) 45% by promotion	(i) 45% by promoton from amongst Clerks-cum-Typists who have rendered a minimum of thirteen years regular service in the grade.

(11)	(12)
(iii) 5% by promotion out of graduate clerks-cum-Typists on passing the departmental examination **Note :** Direct Recruitment of Auditors will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission.	(ii) 5% by promotion from amongst graduate Clerks-cum-Typists having a minimum of five years of service on passing the Departmental Examination by them for the post of Auditor. **Note 1 :** The Departmental Examination for promotion out of graduate Clerks-cum-Typists shall be conducted as and when sufficient number of vacancies become available. During the intervening period, vacancies earmarked for graduate clerks-cum-typists shall neither lapse nor be filled up. **Note 2 :** Clerks-cum-Typists and Data Entry Operators who pass Part I Subordinate Accounts Service Examination shall be promoted out of turn to the grade of Auditor, against the aforesaid 45% quota.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Department Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : **For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controllers of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer —Member **For the office of the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) —Chairman 2. Assistant Controllers General of Defence Accounts —Member 3. Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 9(1)/C/2009]

AMIT COWSHISH, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4) भर्ती नियम, 1970 को, जहां तक ये निम्न श्रेणी लिपिकों के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लिपिक) भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3362 GI/09-2

33

30

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. **निरर्हताएं.**—

(क) जिसने उस व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिक सह टंकक	1808* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय (अराजपत्रित)	वेतन बैंड 1 5200-20200 रुपये तथा ग्रेड वेतन 1900 रुपये सहित	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कार्मिकों को 40 वर्ष तक छूट) **टिप्पण** : आयु सीमा की प्रमाणिक तारीख का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष अर्हता 2. अंग्रेजी में टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट	हां । ग्रेड वेतन 1800 रुपये सहित वेतन बैंड-1 के कर्मचारियों की परीक्षा के लिए अंतिम आयु सीमा 45 वर्ष है । (अनु.जाति/अनु-जनजाति के लिए 50 वर्ष)	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(i) सीधे भर्ती द्वारा 90% । (ii) विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन बैंड-1 तथा ग्रेड वेतन 1800 रुपये में रखा गया है और जिसने उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, ऐसे कर्मचारियों में से 10% रिक्तियों को भरा जाएगा । परीक्षा के लिए अंतिम आयु सीमा 45 वर्ष है । (अनु. जाति/अनु.जनजाति के लिए 50 वर्ष) **टिप्पण 1 :** लिपिक सह टंकक की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर की जाएगी । **टिप्पण 2 :** यदि खंड (ii) के अंतर्गत उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी हो तो ऐसे कर्मचारियों को अनुवर्ती वर्षों में उत्पन्न रिक्तियों के लिए इस तरह विचार किया जाएगा कि पहले परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा ।	विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ग्रेड वेतन 1800 रुपये सह वेतन बैंड-1 के ऐसे कर्मचारी जिसने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के विचारार्थ) की संरचना :— **रक्षा लेखा महानियंत्रक के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के लिए :** (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या संयुक्त रक्षा लेखा नियंत्रक —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा उप-नियंत्रक —सदस्य (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य **कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक के लिए :** (1) ज्येष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)/या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.) —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 9(2)/सी/2009]

अमित कौशिश, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

New Delhi, the 15th September, 2009

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and IV) Recruitment Rules, 1970 inso far as they relate to the post of Lower Division Clerks except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Clerk in the Defence Accounts Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Clerk) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, shall be eligible for appointment to the said post :

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Clerk-cum-Typist	1808* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services (Group 'C') Ministerial Non-gazetted	Pay Band 1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-Selection	No	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualificatons prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
1. Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University. 2. A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.	Yes. The maximum age limit for examination to those in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800/- shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes)	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
(i) 90% by Direct Recruitment. (ii) 10% vacancies shall be filled up from amongst the staff who are placed in Pay Band-1 with Grade Pay of Rs. 1800 and have rendered not less than three years regular service in the grade on the basis of a departmental qualifying examination. The maximum age limit for examination is 45 years (50 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe). **Note 1 :** Direct Recruitment of Clerk-cum-Typist will be made on the basis of Examination conducted by Staff Selection Commission. **Note 2 :** If more employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those qualify at a later examination.	Staff in Pay Band-1 with Grade pay of Rs. 1800 who have rendered 3 years regular service in the grade on the basis of a departmental qualifying examination.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of; **For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Principal Controller of Defence Accounts or Controller of Defence Accounts or Additional Controller of Defence Accounts or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controllers of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controllers of Defence Accounts or Senior Accounts Officer —Member **For the office of the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) —Chairman 2. Assistant Controllers General of Defence Accounts —Member 3. Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 9(2)/C/2009]

3362 GI/09-3

AMIT COWSHISH, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

(वित्त प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2012

का.नि.आ. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रखा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2012 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. का.नि.आ. सं. 22

अनुसूची के कॉलम नं. 2 में

के लिए

"3878*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है "

पढ़ा जाए

"17751*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है "

नोट : दर्शाए गए पदों में लेखापरीक्षक एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षक की संयुक्त संख्या बल सम्मिलित है जिसमें अधिकतम 80% स्टाफ का परिचालन वरिष्ठ लेखापरीक्षक के ग्रेड में होगा ।

[फा. सं. एफ 9(1)/सी/2009]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार

(FINANCE DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th October, 2012

S.R.O. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the recruitment rules to the posts of Auditor in the Defence Accounts Department, 2009.

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **SRO No. 22**

In column No. 2 of the schedule

For

"3878*(2009) * Subject to variation dependent on workload"

Read

" 17751* (2010) * Subject to variation dependent on workload"

Note : Number of posts indicated include the combined strength of Auditor and Sr. Auditor with a maximum of 80% to be operated in Sr. Auditor grade.

[F. No. F. 9(1)/C/2009]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. & Addl. FA

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अगस्त 24—अगस्त 30, 2014, शनिवार/भाद्र 2—भाद्र 8, 1936

No. 17] NEW DELHI, AUGUST 24—AUGUST 30, 2014, SATURDAY/BHADRA 2—BHADRA 8, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) संशोधन भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये 26 सितम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग, (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची के स्तम्भ 12 में, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 3: लेखापरीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष बनी रहेगी जो 26 सितम्बर, 2009 को नियमित आधार पर लिपिक-सह-टंकक का पोषक पद धारण कर रहे थे।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

मूल नियम भारत के राजपत्र में **26 सितम्बर, 2009 को प्रकाशित** किए गए थे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. **एबी-14017/12/87-स्थापन(आरआर) तारीख 18.03.1988** के अनुसार, इस आशय का यह टिप्पण कि

पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष बनी रहेगी जिन्होंने पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण किए हुए थे, पुनरीक्षित मूल नियमों में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित था, क्योंकि पुनरीक्षित मूल नियमों में परिवर्तन पोषक श्रेणी में उन व्यक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है जो मूल नियमों के प्रारंभ की तारीख को लिपिक-सह-टंकक के पद को पहले से ही धारण किए हुए थे। तथापि, इसका अनावधानता से लोप कर दिया गया था। इसलिए, भर्ती नियमों में उक्त संशोधन 26 सितम्बर, 2009 अर्थात् मूल नियमों के प्रारंभ की तारीख से किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से, सेवा में किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 9(1)/सी/2014]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम तारीख 15 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 22 तारीख 26 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् शुद्धिपत्र सं. का.नि.आ. 95, तारीख 30 अक्तूबर, 2012 भारत के राजपत्र में 10 नवम्बर, 2012 को जारी किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 11th August, 2014

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Accounts Department, (Auditor) Amendment Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 26th day of September, 2009.

2. In the Schedule to the Defence Accounts Department, (Auditor) Recruitment Rules, 2009, in column 12, after Note 2, the following Note shall be inserted, namely :—

"**Note 3:** The eligibility service for promotion to the grade of Auditor shall continue to be eight years for persons holding the feeder post of Clerk-cum-Typist on regular basis as on the 26th day of September, 2009."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The principal rules were published on 26th day of September, 2009 in the Gazette of India. As per DOPT OM No. AB-14017/12/87-Estt. (RR) dated 18.3.1988, a note to the effect that the eligibility service shall continue to be eight years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules was required to be included in the revised principal rules, since the change in the revised principal rules is affecting adversely the persons in the feeder grade who were already holding the post of Clerk-cum-Typist on the date of commencement of the principal rules. However, inadvertently the same was omitted. Hence the above amendment in the recruitment rules is being made effective from 26th day of September, 2009 i.e. the date of commencement of the principal rules. It is hereby certified that by giving retrospective effect to this rule, no one in the service will be affected adversely.

[F. No. 9(1)/C/2014]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

Note:—The principal rules dated the 15th September, 2009 was published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 22 on the 26th day of September 2009. Subsequently a corrigendum number S.R.O. 95, dated the 30th October, 2012 was issued in the Gazette of India on 10th day of November, 2012.

Sr Auditor

37

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2013, शनिवार/भाद्र 24—भाद्र 30, 1935

No. 22] NEW DELHI, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2013, SATURDAY/BHADRA 24—BHADRA 30, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

का.नि.आ. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा (वर्ग '3' और वर्ग '4') नियम, 1970 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ लेखापरीक्षक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **नियंत्रण प्राधिकारी.**- रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा पद को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **स्थानांतरण का दायित्व.**- ज्येष्ठ लेखापरीक्षक भारत में कहीं भी स्थानांतरण के लिए दायित्वाधीन होंगे।

6. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखा-परीक्षक	17751 (2013)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । **टिप्पण** - उपदर्शित पद की संख्या में लेखापरीक्षक और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक का संख्याबल सम्मिलित है जिसमें ज्येष्ठ लेखापरीक्षक की श्रेणी में अधिकतम 80 प्रतिशत पद प्रचालित किए जाएंगे ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे लेखापरीक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200.20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद के कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । **टिप्पण 1 :** पुनरीक्षित नियम की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर लेखापरीक्षक के पोषक प्रवर्ग का पद धारण किए हुए व्यक्ति के लिए ज्येष्ठ लेखापरीक्षक श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष की बनी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के लिए : 1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महा नियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा सहायक महा नियंत्रक —सदस्य 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए : 1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य 3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. एफ. 9 (8)/सी/2010]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 11th September, 2013

S.R.O. 58 —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, in so far as they relate to Senior Auditor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Auditor in the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, namely: -

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification, Pay Band and grade pay or pay scale.-The number of the said post, its classification and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Controlling authority. - The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence(Finance).

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Liability for transfer. - The Senior Auditor shall be liable to transfer anywhere in India.

6. Disqualifications. - No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Auditor	17751* (2013) *Subject to variation dependent on workload. Note - Number of posts indicated includes the combined strength of Auditor and Senior Auditor with a maximum of 80% of posts to be operated in Senior Auditor.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 + Grade Pay Rs. 4200	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion :** Auditors in the scale of pay of Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2800 in the Pay band-1 with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed two week training in relation to the duties of higher posts imparted at various Regional Training Centers functioning under the department. **Note:1** The eligibility service for promotion to the grade of Senior Auditor shall continue to be three years for person holding the feeder posts of Auditor on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their semiors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee:— **<u>For offices other than the Controller General of Defence Accounts;—</u>** 1. Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controller of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controller of Defence Accounts —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(12)

For the office of the Controller General of Defence Accounts:—

1.	Senior Deputy Controller General or Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)	—Chairman
2.	Assistant Controller General of Defence Accounts	—Member
3.	Senior Accounts Officer	—Member

[F. No. 9(8)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2013

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1970 को, (का.नि.आ. 4025 तारीख 23 जुलाई 1971 द्वारा प्रकाशित), जहां तक उनका ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय में ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, ज्येष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **नियंत्रण प्राधिकारी.**—उक्त पदों को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा ।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **स्थानांतरण का दायित्व.**—इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी स्थानांतरण के दायित्वाधीन होगा ।

4462 GI/13-2

Contd...

7. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ **अनुवादक**	21* (2013) ***(कार्यभार के आधार पर** परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय **सेवा समूह 'ख'**, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसने विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पदों के कार्यों से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है ।

(11)

टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु प. त्र जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अहक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो (कम न हो) और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व पूरी की गई नियमित सेवा या उस तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में पूरी की गई सेवा माना जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) मूल काडर अथवा विभाग में 4200 रु. ग्रेड वेतन सहित 9300-34800 रु. के वेतन बैंड-2 में नियमित आधार पर कनिष्ठ अनुवादक के पद पर पांच वर्ष की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ अंग्रेजी या हिन्दी अथवा समतुल्य में मास्टर डिग्री; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ, हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप मे हों, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ।

टिप्पण 1 : ऐसे पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार के लिए पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : केन्द्रीय जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(11)
टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व पूरी की गई नियमित सेवा अथवा वह तारीख [illegible] छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है, को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए संबंधित ग्रेड वेतन या वेतनमान में पूरी की गई सेवा समझी जाएगी, इसको छोड़कर कि जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है, तथा जहाँ यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर लागू है जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) : **रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :-** (1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य **रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के लिए :-** (1) रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक —अध्यक्ष (2) रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ अनुवादक	85* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि

(6)
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (i) (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ, हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; या (ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हों, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री । (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद कार्य में 2 वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में कारण लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकेगी । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

४८

(7)
वांछनीय : (i) संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिन्दी को छोड़कर अन्य किसी भाषा का किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा समतुल्य से मैट्रिक स्तर का ज्ञान; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी विपर्ययेन अनुवाद में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी अस्वस्थता या अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है । (क) (i) वे अधिकारी जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में 2800 रु. ग्रेड वेतन सहित 5200—20200 रु. के वेतन बैंड-1 में पद पर नियुक्ति से नियमित आधार पर 6 वर्ष की सेवा की हो; और (iii) जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (7) में विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हों ।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— **रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :—** 1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य 3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य **रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालयों के लिए:-** 1. रक्षा लेखा ज्येष्ठ उप महानियंत्रक या रक्षा लेखा उप महानियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. एफ. 9(6)/सी/2010]

वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्त सलाहकार

(Finance Division)

New Delhi, the 21st October, 2013

S.R.O. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1970 (Published vide S.O. 4025 dated the 23rd July, 1971), in so far as they relate to the posts of Senior Translator and Junior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulalting the method of recruitment to the posts of Senior Translator and Junior Translator in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these reules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Controlling authority.**— The said posts shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance Division).

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Liability of service.**—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

7. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Translator	21* (2013) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Junior Translators in the pay band 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks training in discharge of duty associated with higher post imparted at various Regional Training Centres functioning under the department. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered fro promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half on such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying servie for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommnedations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. **Deputation :** Officers from the Central Government (A) (i) holding analogous post on regualr basis in the parent cadre or department; or (ii) having five years service as Junior Translator on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 in the parent cadre or departrment; and (B) possessing the following educational qualifications:— (i) Master's degree of a recognised University in Hindi or English or equivalent with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination a degree level; or

(11)

(ii) Master's degree of a recognised University of equivalent in any subject other than Hindi or English, with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level: or

(iii) Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects of either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.

Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationsts shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exeed three years.

Note 3:- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4:- For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommnendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion : (for considering promotion) :— **For offices other than the Controller General of Defence Accounts:—** (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts —Chairman (2) Deputy Controller of Defence Accounts —Member (3) Assistant Controller of Defence Accounts —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(12)	
For the office of the Controller General of Defence Accounts :—	
(1) Senior Deputy Controller General or Deputy Controller General of Defence Accounts	—Chairman
(2) Assistant Controller General of Defence Accounts	—Member
(3) Senior Accounts Officer	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Translator	85* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential: (I) (A) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi or English; or (B) Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; or (C) Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level: and (II) Diploma or Certificate course in translation from	Not applicable	Two years

(7)
Hindi to English and vice-versa from a recognised institution or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avaliable to fill up the posts reserved for them. **Desirable**: (i) Knowledge at the level of Matriculation, of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eigth Sehedule of the Constitution, from a recognised Board or equivalent; (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University.

(10)	(11)
Direct recruitment **Note**: Vacancies caused by the incumbent being awary on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the pay band 1 Rs. 5200-20200, with grade pay of Rs. 2800 and (b) possessing the educational and other qualifications specified in column (7) for direct recruits.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)consisting of :— **For offices other than the Controller General of Defence Accounts:—** (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	(12)	
(2)	Deputy Controller of Defence Accounts	—Member
(3)	Assistant Controller of Defence Accounts	—Member

For the offices of the Controller General of Defence Accounts:—

(1)	Senior Deputy Controller General or Deputy Controller General of Defence Accounts	—Chairman
(2)	Assistant Controller General of Defence Accounts	—Member
(3)	Senior Accounts Officer	—Member

[F. No. F. 9(6)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Additional Financial Advisor

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2010

का.नि.आ. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (वर्ग-3 और वर्ग-4) भर्ती नियम, 1970 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, करने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (मल्टी टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **नियंत्रण प्राधिकारी.**—पद का प्रशासनिक रूप से नियंत्रण, रक्षा मंत्रालय (वित्त) के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **स्थानांतरण का दायित्व.**—मल्टी टास्किंग स्टाफ भारत में कहीं भी स्थानांतरण का दायी होगा।

6. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	3225* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वे.बैं.-1 5200-20200 रु. धन ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति

	(7)
	जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
	रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** मल्टी टास्किंग स्टाफ की सीधी भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :- 1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष 2. रक्षा लेखा उप-नियंत्रक —सदस्य 3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

(13)		(14)
रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालयों के लिए :–		
1. रक्षा लेखा ज्यष्ठ उप-महानियंत्रक (प्रशासन)/ रक्षा लेखा उप-महानियंत्रक (प्रशासन)	—अध्यक्ष	
2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक	—सदस्य	
3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. एफ 9(5)/सी/2010]

अमित कौशिश, अपर वित्तीय सलाहकार व अपर सचिव

(Finance Division)

New Delhi, the 5th October, 2010

S.R.O. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Class-III and Class-IV) Recruitment Rules, 1970 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recuitment to the posts of Multi Tasking Staff in the Defence Accounts Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Account Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and sclae of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rule.

3. **Controlling authority.**—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said-post age limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Liability for transfer.**—The Multi Tasking Staff shall be liable to transfer anywhere in India.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes Ex-Servicemen and any other Special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

3850 GI/10-2

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of Central Civil Service (Pensions) Rules, 1972	Age limit for Direct Recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	3225* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years of age. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the clsoing date for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
1. Matriculation or equivalent pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, Grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
(11)	(12)
By Direct Recruitment **Note :** Direct Recruitment of Multi Tasking Staff will be made by Staff Selection Commission.	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation : **For offices other than the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Principal Controller of Defence Accounts/ Controller of Defence Accounts/Additional Controller of Defence Accounts/Joint Controller of Defence Accounts —Chairman 2. Deputy Controller of Defence Accounts —Member 3. Assistant Controller of Defence Accounts or Senior Accounts Officer —Member **For the office of the Controller General of Defence Accounts :—** 1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)/Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) —Chairman 2. Assistant Controller General of Defence Accounts —Member 3. Senior Accounts Officer —Member	Not applicable.

[F. No. 9(5)/C/2010]

AMIT. COWSHISH, Addl. Secy. and Addl. FA(A)

रक्षा उत्पादन विभाग

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2010

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के **अनुच्छेद** 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और प्रदाय विभाग निरीक्षण महानिदेशालय 'ग' भंडारी पद भर्ती नियम, 1984 को जहां तक उनका संबंध भंडारी, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (भंडारपालन) पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Navy Branch)

New Delhi, the 26th August, 2013

S.R.O. 56.—In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, in Regulation 21 Sub Regulations (2), the following clause shall be substituted, namely :—

(2) The Executive Officer, if he is an officer of the rank of Commander/Captain/Commodore, may be delegated the power to award following punishments, namely :—

[F. No. 282/US(P)/D(N-II)/2013 MF PS 2630/10]

ASHISH SHARMA, Under Secy.

Note :- The Navy (Discipline and Miscellaneoud Provisions) Regulation, 1965 were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 under the Ministry of Defence Notification No. SRO 2E, dated the 6th February, 1965 and no further amendments have been made in this Regulations.

(Finance Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th September, 2013

S.R.O. 57.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Recruitment Rules to the posts of Multi Tasking Staff in the Defence Accounts Department, 2010.

1. **Short title and Commencement** : (1) These rules may be called the Defence Account Department (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **SRO No. 83**

In Column No. 3 of the schedule of S.R.O. No. 47.

For

"General Central Service Group "C" Gazetted, Non-Ministerial"

Read

"General Central Service Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial"

[F. No. F. 9 (5)/C/2010]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. & Addl. FA(VP)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.